(८)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**

**पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बर 58/2018 — दायर दिनांक–28–06–2018

1. शांति देवी धर्मपत्नि रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

– **प्रार्थी**

**बनाम**

2. नागर पुत्र मांगू जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3. रामेश्वर पुत्र मांगू जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4. बिडदी देवी धर्मपत्नि भागीरथ जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5. प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
6. प्रबन्धक, शेखावाटी ग्रामीण बैक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
7. राजस्थान–सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
8. जुलेखां पत्नी स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
9. मुस्तकीम पुत्र स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
10. अबास पुत्र स्व भालेखां जाति फकीर निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
11. अब्दुल हमीद पुत्र स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं ।
12. अजीज पुत्र स्व भालेखां जाति फकीर निवासीगण ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
13. आमना पुत्री स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
14. हलीसा पुत्री स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
15. जनत पुत्री स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
16. मो अली पुत्र स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
17. निसार पुत्र भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
18. दाउद पुत्र स्व भालेखां जाति फकीर निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

**–अप्रार्थीगण**

**वकील वादी** : – **श्री विजेन्द्र सिंह जाखड़**

**वकील प्रति. नं.** :– **श्री विकास सैनी**

**प्रार्थना–पत्र**

**अन्तर्गत धारा 48, 49**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–:: निर्णय ::–**

**दिनांक– 29.12.2021**

वादी ने एक प्रार्थना पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम परसरापुरा पटवारी हल्का परसरामपुरा की सरहद में नई खाता संख्या 267 की भूमि [illegible] नम्बर 1564 रकबा 5.02 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त भूमि में रकबा 1.10 हैक्टर अप्रार्थी [illegible] नम्बर 7 [illegible] 17 [illegible] नाम, रकबा 1.10 हैक्अर प्रार्थीया के नाम, रकबा 1.10 हैक्टर अप्रार्थी नम्बर 3 के नाम, रकबा [illegible] नम्बर 1 के नाम, रकबा 0.01 हैक्टर अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर हिस्सा 2/3 दर्ज रिकार्ड है तथा 1/3 हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

राजस्व ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की सरहद में नई खाता संख्या 24[illegible] की भूमि खसरा नम्बर 1555 रकबा 2.88 हैक्टर स्थित है उपरोक्त भूमि में रकबा 0.55 हैक्टर अप्रार्थी नम्बर 3 के नाम, रकबा 0.41 हैक्टर अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के नाम दर हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है तथा 2/3 हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:05:56 IST
Reason: SelfAttested

नाम से दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त हिस्से अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 3, 7 लगायत 17 के नाम खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थीया के नाम खसरा नम्बर 1564 रकबा 5.02 हैक्टर में रकबा 1.10 हैक्टर की खातेदारी दर्ज है, खसरा नम्बर 1555 रकबा 2.88 हैक्टर में रकबा 2.33 हैक्टर की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीया खसरा नम्बर 1564 में दर्ज रकबा 1.10 हैक्टर भूमि का विनिमय अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्र 1555 में से करना चाहते है, जिसके लिये अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 भी सहमत है, इसलिये भूमि के विनिमय के लिये उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं।

विनिमय की जा रही भूमि समान मूल्य के बराबर है, समान रकबा है, जिसकी किस्म भी बारानी द्वितीय है, भूमि एक ही गांव में स्थित है तथा एक ही भूमिधारी के अधीन है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण जिस भूमि का विनिमय कर रहे है उस पर तीन या तीन साल से अधिक समय से लगातार काश्त करते आ रहे है, प्रार्थीया व अप्रार्थीगण काश्त की सुविधा के लिये भूमि का विनिमय करना चाहते हैख जिसकी अनुमति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की राजस्व ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1564 रकबा 5.02 हैक्टर में दर्ज खातेदारी की भूमि रकबा 1.10 हैक्टर का अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की राजस्व ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1555 रकबा 2.88 हैक्टर में दर्ज रकबा 1.10 हैक्टर के बराबर विनिमय करने व विनियम अनुसार खसरा नम्बर अंकित करने बाबत् पेश किया हैं।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 17 की तलबी सम्यक रूप से होने पर भी इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी पेश होने पर प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगणों द्वारा अनापति जाहिर की गई। प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त की गई। अप्रार्थी संख्या 01 व 2 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विनिमय की जा रही भूमि समान मूल्य के बराबर है, समान रकबा है, जिसकी किस्म भी बारानी द्वितीय है, भूमि एक ही गांव में स्थित है तथा एक ही भूमिधारी के अधीन है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण जिस भूमि का विनिमय कर रहे है उस पर तीन या तीन साल से अधिक समय से लगातार काश्त करते आ रहे है। राजस्व रिकार्ड के मुताबिक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 08 लगायत 10 की राजस्व ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1564 रकबा 5.02 हैक्टर में खातेदार है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 2 राजस्व ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1555 रकबा 2.88 हैक्टर में खातेदार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 17 की भूमि खसरा नम्बर 1.10 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से सहमति प्रदान की। भूमि एक तहसील व ग्राम में स्थित है, समान रकबे के विनिमय का अनुतोष चाहा है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48, 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 17 की राजस्व ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1564 रकबा 5.02 हैक्टर में दर्ज खातेदारी की भूमि रकबा 1.10 हैक्टर का अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की राजस्व ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1555 रकबा 2.88 हैक्टर में दर्ज रकबा 1.10 हैक्टर के बराबर विनिमय करने व विनियम अनुसार खसरा नम्बर में अंकित करने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 29.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:05:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ